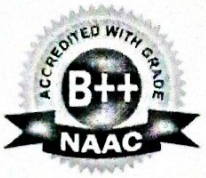




ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)



पत्रांक : 1338 / भा.विवि / कुस.का / 2026

दिनांक : 13 जुलाई 2026

कार्यालय-ज्ञाप

कार्य परिषद् की 41वीं बैठक दिनांक 03 जुलाई 2026 के मद संख्या-41.9 में लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2015 की धारा-2.12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रो० मसरूद आलम, आचार्य, अरबी विभाग को आदेश निर्गत होने की तिथि से आगामी तीन वर्षों अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए अधिष्ठाता-छात्र कल्याण (DSW) के दायित्व सौंपे जाते हैं।

(Handwritten signature)
13.7.26
(विकास)

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी
3. कुलसचिव
4. परीक्षा नियंत्रक
5. प्रो० चन्दना डे को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार अवगत होते हुए छात्र कल्याण से सम्बन्धित पत्रावली, अभिलेख, सूचनायें एवं जानकारी वर्तमान अधिष्ठाता-छात्र कल्याण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. नोडल अधिकारी-समर्थ
7. सहायक कुलसचिव
8. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य
9. वेब एडमिनिस्ट्रेटर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
10. समस्त सहायक आचार्य (अस्थायी)/अतिथि व्याख्याता

(Handwritten signature)
(मोहम्मद सहील)
उप कुलसचिव।